राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	छोटूराम बनाम दिनेश हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 1191/2025	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15/05/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता रेस्पो. ने प्रार्थना पत्र धारा-151 सीपीसी पेश किया, जिस पर सुना गया। उद्धरित तथ्यों के आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र धारा-151 सीपीसी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होने से इसी स्तर पर ख़ारिज किया जाता है। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अत: पत्रावली निर्णय हेतु रिजर्व की जाती है। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 22/05/2026 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
22/05/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 06/02/2025 पारित करते हुये विवादित आराजीयात में खाता संख्या नया 20 के खसरा नम्बर 110, 111, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56 कुल किता 11 कुल रकबा 4.97 हैक्टेयर ग्राम प्रहलादपुरा उर्फ़ धमकपुरा पटवार हल्का सीमल्यावास तहसील चाकसू पर तहसीलदार चाकसू को मौका कमिश्नर नियुक्त कर प्रतिवादीगण को लिखित सूचना देते हुये विभाजन प्रस्ताव मुताबिक नियम 18 से 21 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये। जिसकी पालना में कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित किये गये, जिस पर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 05/05/2025 पारित करते हुये वाद डिक्री कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा-5 कानून मियाद के साथ प्रस्तुत की गयी है। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में प्रार्थना पत्र धारा-5 मियाद अधिनियम का अवलोकन किये जाने से डिले कन्डोन करवाने हेतु अंकित तथ्य उचित प्रतीत होते है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र धारा-5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाना न्यायोचित्त प्रतीत होता है। अत: प्रार्थना पत्र धारा-5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील को अन्दर मियाद शुमार की जाती है। गुणावगुण पर उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय कुर्रेजात रिपोर्ट एवं अपीलाधीन अन्तिम निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि पक्षकारान/सहखातेदारान के मध्य विभाजन हेतु राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	छोटूराम बनाम दिनेश हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	1191/2025	

तहसीलदार द्वारा सही रूप से कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित किये गये है, जिसमे कोई त्रुटी प्रतीत नही होती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के माध्यम से मुताबिक कुर्रेजात पक्षकारान/सहखातेदारान के मध्य किया गया विभाजन विधिसम्मत एवं न्यायसंगत प्रतीत होता, जिसमे कोई त्रुटी प्रतीत नही होने से अपील के माध्यम से उठाये गये तकनीकी बिन्दु के आधार पर कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझा जाता है |

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 05/05/2025 यथावत रखे जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 22/05/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर